प्रेस नोट दि0-24.12.2025

थाना- पट्टी, जनपद- प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का इनामियां 01 शातिर अभियुक्त जावेद उर्फ चांदबाबू के बायें पैर में गोली लगी/ गिरफ्तार-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा क्षेत्रांतर्गत आमापुर मोड़ के पास से इनामियां 01 शातिर अभियुक्त जावेद उर्फ चांदबाबू को गिरफ्तार किया गया।

घायल अभियुक्त जावेद उर्फ चांदबाबू को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है-

अभियुक्त के कब्जे से 01अवैध तमंचा, 03 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया-

दिनांक 20.12.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उडैयाडीह में घटित घटना में थाना पटटी में दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त लगातार वाँछित चल रहा था पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अभियुक्त पर 25000/-रूपये का इनाम घोषित किया गया था।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य संकलन, तकनीकी जानकारी व सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अभियुक्तों की शिनाख्त एवं गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 23.12.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिंह सिरोही मय हमराह उ0नि0 अनीश यादव, उ0नि0 अतुल यादव, उ0नि0 शुभम सिंह, कां0 अभिषेक यादव, कां0 जितेन्द्र चौहान, कां0 पंकज चौहान, कां0 सर्वेश राजपूत द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत आमापुर मोड़ के पास से चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी के अभियोग की धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट से संबंधित 25000/- रुपये का इनामियां 01 शातिर अभियुक्त जावेद उर्फ चांदबाबू द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित शातिर अभियुक्त जावेद उर्फ चांदबाबू उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र वारिस अली निवासी उडैयाडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के बायें पैर में गोली लगी(घायल)/गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है। अभियुक्तों के कब्जे से 01अवैध तमंचा, 03 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया। जिसके संबंध में थाना पट्टी में विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अभियुक्त जावेद उर्फ चांदबाबू उम्र करीब 28 वर्ष पुत्र वारिस अली निवासी उडैयाडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी विवरण-
1- 01अवैध तमंचा, 03 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक सिंह सिरोही मय हमराह उ0नि0 अनीश यादव, उ0नि0 अतुल यादव, उ0नि0 शुभम सिंह, कां0 अभिषेक यादव, कां0 जितेन्द्र चौहान, कां0 पंकज चौहान, कां0 सर्वेश राजपूत थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना देल्हूपुर के उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह हे0का0 सुनील यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर मु0नं0- 164/25 धारा 147 बीएनएसएस थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारंटी अभियुक्त शाहिद अली पुत्र हातिम अली निवासी ग्राम चाँदपुर थाना देल्हपुर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01.शाहिद अली पुत्र हातिम अली निवासी ग्राम चाँदपुर थाना देल्हपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 अतुल यादव मय हमराह हे0का0 सुनील यादव थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना महेशगंज पुलिस द्वारा कुल 1196 ग्राम अवैध गांजा व विक्री के 1310 रुपये के साथ 01 अभियुक्त अनिल पाण्डेय को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जगापुर स्थित निर्माणाधीन मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेश्याम के नेतृत्व में उ0नि0 विजेन्द्र कुमार यादव मय उ0नि0 अखिलेश सिंह मय हमराह का0 बीरपाल, का0 सुनील कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जगापुर स्थित निर्माणाधीन मन्दिर के पास से 01 अभियुक्त अनिल कुमार पाण्डेय उर्फ भोले पाण्डेय उर्फ बमभोले पुत्र अमृत लाल पाण्डेय निवासी कांटेजोत रायगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से कुल 1196 ग्राम अवैध गांजा व विक्री के 1310 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तार/ बरामदगी के आधार पर थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 281/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. अनिल कुमार पाण्डेय उर्फ भोले पाण्डेय उर्फ बमभोले पुत्र अमृत लाल पाण्डेय निवासी कांटेजोत रायगढ़ थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 383/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 281/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- कुल 1196 ग्राम अवैध गांजा व विक्री के 1310 रुपये बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विजेन्द्र कुमार यादव मय उ0नि0 अखिलेश सिंह मय हमराह का0 बीरपाल, का0 सुनील कुमार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णत: गोपनीय रखी जाएगी।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

हत्या का प्रयास व डीपी एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना बाघराय पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत बड़े नहर की पुलिया टेकीपट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी की बहन से दहेज की मांग को लेकर आरोपीगणों द्वारा शारीरिक प्रताड़ना तथा सिर पर लाठी डण्डों से मारने के प्रकरण में दिनांक 22.12.2025 को वादी की तहरीर के आधार पर थाना बाघराय में मु0अ0सं0 290/2025 धारा 85, 115(2), 351(3), 109(1) बीएनएस व 3/ 4 डी0पी0 एक्ट बनाम 03 नामजद (पति नीरज,जेठ, सास) का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह हे0का0 गौतम प्रसाद द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 290/2025 धारा 85, 115(2), 351(3), 109(1) बीएनएस व 3/ 4 डी0पी0 एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त नीरज यादव पुत्र स्व० महरानीदीन यादव निवासी ग्राम दयाल का पुरवा वंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 35 वर्ष को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत बड़े नहर की पुलिया टेकीपट्टी के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. नीरज यादव पुत्र स्व० महरानीदीन यादव निवासी ग्राम दयाल का पुरवा वंशियारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 35 वर्ष ।

पुलिस टीम- उ0नि0 दिनेश कुमार मय हमराह हे0का0 गौतम प्रसाद थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।